"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 सितम्बर 2026 — भाद्र 16, शक 1948

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/52718/2026-C&I.— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव् औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करता है, अर्थात -

संशोधन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में,

1. कंडिका (12.29) के पश्चात्, नवीन कंडिका निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात-

"(12.30) इस नीति में किसी भी संशोधन होने की स्थिति में, जब तक अन्यथा प्रावधानित न हो, नीति में उस संशोधन के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक के पूर्व स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त अथवा परिशिष्ट-1 की कंडिका (51) में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने वाली इकाईयां अथवा जिन इकाइयों को नीति के नियत दिनांक के पश्चात परंतु संबंधित संशोधन दिनांक के पूर्व किसी शासकीय एजेंसी द्वारा भू-आबंटन किया गया हो वे संबंधित संशोधन के पूर्व उल्लेखित पात्रता/प्रावधान का विकल्प चयन कर सकेगी। संशोधन के पूर्व उत्पादन प्रारंभ कर चुकी इकाईयों पर संशोधन के पूर्व की शर्तें लागू होगी।"

2. परिशिष्ट-1 की कंडिका (51) में खंड (4) के पश्चात, नवीन खंड निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात-

"(5) सेवा इकाईयों पर बिन्दु (2), (3), (4) लागू नहीं होंगे। सेवा इकाईयों द्वारा उद्यम आकांक्षा दिनांक अथवा नीति के नियत दिनांक (जो पश्चातवर्ती हो) से संशोधन के राजपत्र प्रकाशन दिनांक तक परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित निवेश का 30% निवेश किए जाने पर विकल्प चयन हेतु पात्रता होगी।"

3. परिशिष्ट-7 की कंडिका (4), परिशिष्ट-8 की कंडिका (3), परिशिष्ट-9 की कंडिका (4), अध्याय ब-1, अध्याय ब-2, अध्याय स-1 से अध्याय स-7, अध्याय स-9 की कंडिका (3) एवं अध्याय द-1 की कंडिका (4) (अ) में, शब्द "क्रय/पट्टे" के पश्चात, शब्द "/उपहार/दान" जोड़ा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 5th September 2026

NOTIFICATION

No. GENS/52718/2026-C&I.— Whereas, the State Government is of the opinion that, in order to accelerate the industrial development of the State and to clarify the provisions of the Industrial Development Policy 2024-30, it is necessary to do so in public interest,

therefore, in exercise of the powers conferred under Para (2) of the Industrial Development Policy 2024-30, the State Government, hereby, makes the following amendments to the Industrial Development Policy 2024-30, namely:

AMENDMENTS

In the Industrial Development Policy 2024-30,

1. After Para (12.29), the following new Para shall be added, namely:

   "(12.30) In the case of any amendment to this policy, unless otherwise provided, the enterprises which have availed stamp duty exemption or have fulfilled the conditions mentioned in Para (51) of Annexure-1 before the date of publication of that amendment in the Official Gazette, or the enterprises to which land has been allotted by any Government agency after the effective date of the policy but before the date of the relevant amendment, shall have the the option to choose the eligibility/provisions mentioned before the relevant amendment. The enterprises which have already commenced production before the amendment shall be governed by the conditions existing before the amendment."

2. In Para (51) of Annexure-1, after clause (4), the following new clause shall be added, namely:

   "(5) Sub-clauses (2), (3), (4) shall not apply to service enterprises. Service enterprises shall be eligible to choose the option on having made an investment of 30% of the investment mentioned in project report from the date of Udyam Akanksha or the appointed date of the policy, whichever is later, up to the date of publication of the amendment in the Official Gazette."

3. In Para (4) of Annexure-7, Para (3) of Annexure-8, Para (4) of Annexure-9, Para (3) of Chapter B-1, Chapter B-2, Chapter C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, and C-7 and Chapter C-9, and Para (4)(a) of Chapter D-1, after the words "purchase/lease", the words "/gift/donation" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.